

Disallowed 15/07/2021

विवरणी

9/7/21

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार बाहिलेल
धाँसी वी. मुख्त धाँसी वी को खास नोटिस निर्गत किया
गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के
द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम समसैरा खाता सं० 251
प्लॉट सं० - रकबा 0.978 वर्ष का लगान रसीद
प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान किस्ती ने भी अपना लिखित
बयान नहीं दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त विषयगत
भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व
उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख
में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि
पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार
सं० खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने
जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बाहिलेल
धाँसी वी. मुख्त धाँसी वी ग्राम समसैरा
के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी
संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>समसैरा</u>	<u>67</u>	<u>251</u>	<u>-</u>	<u>0.978</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
बोकारो

अंचल अधिकारी
बोकारो
9/7/21